

अनौपचारिक रूप से आंतरिक
वित्तीय सलाहकार द्वारा परामर्शित।

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह
विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
(ले० एवं ह०)
वीरचन्द्र पटेल पथ पटना।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- केन्द्रीय प्रायोजित योजना Umbrella Scheme of Skill Development Mission-General and Sub scheme of National career Service Project (Mission Mode Project for Employment Exchanges) के तहत ₹ 32,56,500 (रूपये बत्तीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ) के व्यय पर अवर प्रादेशिक नियोजनालय, मुजफ्फरपुर में "मॉडल कैरियर सेन्टर" की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

केन्द्रीय प्रायोजित योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 32,56,500 (रूपये बत्तीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ) मात्र के व्यय पर वित्त विभाग के पत्रांक-ब-17/बी०एस०जी०-300/2015-1047/वि० दिनांक-16.12.2015 के प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत अवर प्रादेशिक नियोजनालय, मुजफ्फरपुर में मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन एवं रोजगार क्षमता में वृद्धि यथा उनमें उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा career counseling आजीविका परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण का मार्ग चुना गया है। इसके लिए रोजगार कार्यालयों को आजीविका केन्द्रों का रूप एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को नया स्वरूप दिया जाना है। जिससे उद्योगों की जरूरतों के अनुसार बेरोजगार युवक-युवतियों का कौशल निर्माण किया जा सके। इस योजना के माध्यम से कॉउंसलिंग केन्द्रों और प्रशिक्षण संस्थानों के तालमेल उद्योग जगत से बढ़ाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि उनमें परस्पर सार्थक और फलदायक संबंध स्थापित हो सके। सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय रोजगार नीति विकसित किया जा रहा है और राष्ट्रीय आजीविका सेवा (National career Service) के सहयोग के लिए एक आधुनिक तकनीक आधारित ढांचे की संकल्पना की जा रही है, जो रोजगार एक्सचेंज का स्थान ले सके। उक्त क्रम में ही अवर प्रादेशिक नियोजनालय, मुजफ्फरपुर में आदर्श आजीविका केन्द्र (मॉडल कैरियर सेन्टर) की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है।

मॉडल कैरियर सेन्टर के स्थापना से शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को विशेषज्ञ मार्गदर्शकों एवं युवा पेशेवरों (Young Professionals) से कैरियर निर्माण, व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आधुनिक तकनीक के माध्यम से महानिदेशालय, रोजगार सेवाएँ भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आलोक में प्रदान किया जाना है।

इस योजना से रिसेप्शन/रजिस्ट्रेशन डेस्क के लिए एल०सी०डी० डिस्प्ले, कम्प्यूटर, चेयर, टेबूल, मल्टी फंक्शनल डिवाइस, प्रिंटर, स्कैनर, वाटर कूलर, दूरभाष इत्यादि के क्रय तथा विशेषज्ञों के मानदेय पर व्यय किया जायेगा। प्रस्तावित मॉडल कैरियर सेन्टर के भवन के निर्मित क्षेत्र के फ्लोरिंग रिपयेरिंग, फर्निशिंग, इंस्टॉलिंग इत्यादि पर एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में व्यय किया जायेगा।

3. इस योजना के अन्तर्गत व्यय मुख्य शीर्ष-"2230-श्रम तथा रोजगार उपमुख्य शीर्ष-03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष-003-शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण मांग सं०-26, उप शीर्ष-0233-"कौशल विकास मिशन", विपत्र कोड संख्या-पी०-2230030030233 पी०एफ०एम०एस० कोड 9173 में उपबंधित राशि से चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विकल्पनीय होगा।

इस राशि का आवंटन निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना द्वारा दिया जायेगा।
विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक- 18.01.2016 को बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में यह प्रशासनिक स्वीकृति दी जा रही है।

4. इस योजना हेतु प्रथम किस्त के रूप में ₹ 19,53,900.00 (रूपये उन्नीस लाख तिरपन हजार नौ सौ) मात्र का राशि राज्य सरकार के खाते में क्रेडिट किया गया है जिसके विरुद्ध (In round figure में रूपये ₹ 19,53,500.00 (रूपये उन्नीस लाख तिरपन हजार पाँच सौ) मात्र का योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2015-16 के द्वितीय अनुपूर्क व्यय विवरणी से इस कार्य हेतु उपलब्ध है।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।
6. इस राशि की निकासी सहायक निदेशक(नियोजन), अवर प्रादेशिक नियोजनालय, मुजफ्फरपुर (नोडल पदाधिकारी) द्वारा किया जायेगा।
7. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, वित्तीय नियमावली-2005 एवं समय-समय पर निर्गत आदेश/निदेशों के अनुरूप की जायेगी।
8. प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त है।
9. प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति पृ0-9./टि0 पर प्राप्त है।
10. प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0-9./टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/

(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या:- 2/यो0-5025/2015-

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर /उप निदेशक (नियोजन), तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-सहायक निदेशक (नियोजन), अवर प्रादेशिक नियोजनालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या:- 2/यो0-5025/2015- 173

पटना-15, दिनांक- 03.02.16

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, रोजगार कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण 3/10 जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।